

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

सरकार ने NSCN-K पर लगाया गया प्रतिबंध 5 वर्ष और बढ़ाया

Sanket Morankar

Published on 22 Sep 2025



केंद्र सरकार ने नागालैंड में सक्रिय नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खाप्लुंग (NSCN-K) पर लगाया गया प्रतिबंध 5 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह कदम भारत में सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने और नक्सलवादी व आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की दिशा में उठाया गया है।

- NSCN-K को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन के रूप में 2004 में घोषित किया गया था।
- संगठन नागालैंड और उससे जुड़े क्षेत्रों में अराजक गतिविधियों, हथियार तस्करी और आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है।
- पहले भी सरकार ने यह प्रतिबंध 5 वर्षों के अंतराल पर बढ़ाया था।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि NSCN-K स्थानीय जनमानस में भय और अस्थिरता फैलाने वाला संगठन है।

- गृह मंत्रालय ने बताया कि संगठन द्वारा अपराध और हिंसा को बढ़ावा देना, और राज्य की कानून व्यवस्था को कमजोर करना जारी है।
- मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाने का उद्देश्य सुरक्षा बलों को कानूनी अधिकार और कार्रवाई की स्वतंत्रता देना है।
- मंत्रालय ने कहा—
“NSCN-K के खिलाफ प्रतिबंध 5 साल और बढ़ाया गया है ताकि संगठन की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।”
- संगठन के किसी भी संगठनात्मक या वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाई गई है।
- NSCN-K के किसी भी सदस्य का कानूनन समर्थन या सहयोग करना अपराध माना जाएगा।

- सुरक्षा बल अब संगठन के खिलाफ **अधिक कठोर कार्रवाई** कर सकते हैं, जिसमें गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और संपर्कों की निगरानी शामिल है।
- NSCN-K और उसके छोटे संगठन नागालैंड के कुछ जिलों में सक्रिय रहे हैं।
- इन जिलों में नागरिक सुरक्षा, शिक्षण संस्थानों और छोटे व्यवसायों पर संगठन की धमकियाँ आम बात रही हैं।
- प्रतिबंध बढ़ाने के बाद सुरक्षा बलों को **जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने और नक्सलियों को खत्म करने** में मदद मिलेगी।
- सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि NSCN-K का प्रतिबंध बढ़ाना **राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक** है।
- उनका कहना है कि यह कदम संगठन को कमजोर करने, उसके नेटवर्क और वित्तीय स्रोतों पर दबाव बनाने में सहायक होगा।
- विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्रतिबंध केवल कानूनी उपकरण है; **सत्यापन, सूचना और जमीनी कार्रवाई** भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
- नागालैंड और पूर्वोत्तर के कई राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के निर्णय का समर्थन किया है।
- उनका कहना है कि यह कदम **स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और राज्य की शांति बनाए रखने** के लिए महत्वपूर्ण है।
- नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों ने भी इस कदम की सराहना की, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने की मांग की कि **सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे**।
- संगठन अब भी छोटे समूहों में सक्रिय है, लेकिन उसकी **सैन्य और राजनीतिक ताकत पहले जैसी नहीं** रही।
- प्रतिबंध के कारण संगठन के सदस्य छिपकर कार्य करते हैं, जिससे पुलिस और सुरक्षा बलों को उनका पता लगाना आसान हो गया है।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि संगठन को कानूनी और सुरक्षा दबाव के तहत रखा गया, तो उसकी **सक्रियता धीरे-धीरे कम हो सकती है**।
- सुरक्षा बलों को राज्य सरकार और केंद्र की ओर से **अतिरिक्त संसाधन और प्रशिक्षण** प्रदान किए जा रहे हैं।
- निगरानी, छापेमारी और संचार जासूसी के जरिए संगठन पर लगातार दबाव बनाए रखा जाएगा।
- विशेषज्ञों का कहना है कि NSCN-K पर प्रतिबंध **स्थानीय युवाओं को संगठन में शामिल होने से रोकने** में भी मदद करेगा।

NSCN-K पर प्रतिबंध 5 वर्ष और बढ़ाने का कदम यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार **पूर्वोत्तर भारत में नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ सतत और सख्त रुख अपनाए** हुए है।

- यह प्रतिबंध न केवल संगठन को कमजोर करने की दिशा में है, बल्कि **सुरक्षा बलों को कानूनी और कार्रवाई का अधिकार** भी देता है।
- नागालैंड और पूर्वोत्तर के नागरिकों के लिए यह सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

अब निगाहें यह देखने पर हैं कि NSCN-K पर यह नई अवधि के प्रतिबंध के दौरान **सरकार और सुरक्षा बल कितनी प्रभावी कार्रवाई करते हैं और क्षेत्र में शांति बनाए रखते हैं**।